प्रगति पथ पर
नवभारत महाराष्ट्र
19th ANNIVERSARY 2016

देश के विकास का नया इंजन बना 'आधार'

106 करोड़ से अधिक को मिला विशिष्ट पहचान प्रमाण

- महाराष्ट्र में 95 प्रतिशत का नामांकन
- 'आधार' बन रहा है सुविधाओं का आधार

देश में निवासियों को दिया जा रहा 12 अंकों वाला आधार भारत के विकास को गति देने वाला नया इंजन साबित हो रहा है. 'आधार' की मदद से सरकार द्वारा देश की जनता को दी जाने वाली सब्सिडी वास्तविक लाभार्थी को प्राप्त होने लगी है. अर्थात हर व्यक्ति को उसका पूरा हक सीधे प्राप्त हो रहा है सब्सिडी वितरण में पहले जो रिसाव हो रहा था, वह 'आधार' के कारण नियंत्रित हो रहा है जिससे सरकार को अरबों रुपए की बचत हो रही है. नतीजन सरकार के पास गरीबों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं. यही नहीं, विभिन्न सरकारी सेवाओं में 'आधार' का उपयोग किए जाने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति आई है. अब तो लोग बैंक, डीमैट, ट्रेडिंग खाते खोलने या नया मोबाइल सिम कार्ड लेने में भी 'आधार' का उपयोग करने लगे हैं. निकट भविष्य में अनेक सरकारी व निजी सेवाओं में भी 'आधार' का उपयोग होगा. गत मार्च में आधार कानून आने के बाद आधार को कानूनी दर्जा भी प्राप्त हो गया है. अब तक 98 प्रतिशत व्यस्क जनता को 'आधार' मिल चुका है. दुनिया में यह सबसे बड़ा डिजिटल अभियान है, जिसमें 106 करोड़ से अधिक भारत के निवासियों को उनका आधार (विशिष्ट पहचान प्रमाण) निःशुल्क प्रदान किया गया है. 'आधार' को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) सतत प्रयासरत है. 'आधार' की प्रगति, भावी योजनाओं और इससे फायदों के संबंध में UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय भूषण पांडे से 'नवभारत' के वाणिज्य संपादक विष्णु भारद्वाज की विस्तृत चर्चा हुई. पेश है उसके मुख्य अंशः-

■ अब तक कितने लोगों को 'आधार' कार्ड प्रदान किया गया है?

अब तक हमने भारत के 106 करोड़ से अधिक निवासियों को 'आधार' दे दिया है और हर रोज करीब 7 लाख लोगों का 'आधार' के लिए पंजीकरण किया जा रहा है. 2015 के जन आकलन को देखें तो देश की कुल जनसंख्या 128 करोड़ है. इसमें से अब तक हमने 98 प्रतिशत व्यस्क जनता को 'आधार' प्रदान कर दिया गया है. 5 से 18 उम्र तक वाली आबादी में 68 प्रतिशत को 'आधार' मिला है. जबकि 5 साल से कम आयु वाले बच्चों में 27 प्रतिशत को 'आधार' दिया जा चुका है. अब हमारा फोकस 5 से 18 साल तक के स्कूली बच्चों को 'आधार' प्रदान करने पर है. उन्हें आधार देने के लिए स्कूलों में कैम्प लगाए जा रहे हैं.

■ देश के सभी नागरिकों को कब तक 'आधार' मिल जाएगा?

हम देश के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द 'आधार' प्रदान करने के प्रयास में जुटे हुए हैं. जैसा कि मैंने बताया कि स्कूलों में कैम्प लगाए जा रहे हैं. 'आधार' के तहत पंजीकरण कराने का यह विशेष अभियान 3 माह तक चलेगा. इसमें देश भर के सभी स्कूलों में कैम्प लगाए जा रहे हैं. जहां सभी स्कूली बच्चों के अलावा वे नागरिक भी पंजीकरण करवा सकते हैं, जिनका अभी तक 'आधार' नहीं बना है. विशेष अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों का पंजीकरण करने के लिए आंगनवाड़ी/ नर्सरी/प्री-स्कूलों में भी कैम्प लगाए जाएंगे. साथ ही हम छोटे बच्चों का आधार बनाने के लिए उनके घर तक भी जाएंगे. हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2016 तक सभी भारतीयों को 'आधार' प्रदान कर दिया जाए. 3 माह के अभियान के अलावा हमने हर राज्य में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर साल में 2 बार स्कूलों में कैम्प लगाने की योजना बनाई है. ताकि नए बच्चों को भी 'आधार' मिलता रहे. हमारे देश में 22,000 आधार पंजीयन केंद्र कार्यरत हैं, जहां कभी भी निःशुल्क आधार पंजीकरण कराया जा सकता है.

■ 'आधार' पंजीकरण में किन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है?

'आधार' पंजीकरण में राज्यों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में 90 से 100 प्रतिशत जनता को 'आधार' दिया जा चुका है. जबकि तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल जैसे कुछ राज्यों में 70 से 80 प्रतिशत जनता को अब तक आधार दे दिया गया है. देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों में कई कारणों से 50 से 60 प्रतिशत ही पंजीकरण हो पाया है. हालांकि अब 3 माह के विशेष अभियान में पूरे देश में सभी का पंजीकरण कर 'आधार' प्रदान कर दिया जाएगा. वैसे 'आधार' पंजीकरण में सभी राज्यों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है.

■ यदि किसी का आधार कार्ड खो जाए तो वह नया कैसे प्राप्त करेगा?

इसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है. यदि किसी का आधार कार्ड खो गया है या नहीं मिला है तो वह UIDAI की वेबसाइट से ई-आधार डाउनलोड कर सकता है, जो भी व्यक्ति वेबसाइट से आधार डाउनलोड करना चाहेगा, उसे उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, उससे वह आसानी से ई-आधार डाउनलोड कर प्रिंट ले सकता है. ई-आधार भी पूरी तरह मान्य है.

■ आधार एक्ट लागू होने से क्या फायदे होंगे?

आधार एक्ट लागू होने से 'आधार' को कानूनीजामा मिल गया है. इससे लगभग सभी बाधाएं दूर हो गई हैं. 'आधार' से सरकार को जन-जन तक प्रत्यक्ष लाभ, सब्सिडी एवं सेवाएं प्रदान करने में सहूलियत होगी. साथ ही लोगों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो सकेगा. सरकार के पास एक बहुत बड़ा सक्षम तंत्र तैयार हो गया है. केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जितने भी लाभ या सब्सिडी जनता को देनी है, उन्हें 'आधार' से लिंक करके ही दिया जाएगा. इससे पात्र व्यक्ति को सीधे लाभ मिलेगा. हर व्यक्ति को जो हक है, वह उसे ही मिलेगा. सब्सिडी वितरण में रिसाव नहीं होगा. आधार एक्ट के लागू होने से UIDAI एक संवैधानिक निकाय बन गया है. 'आधार' से संबंधित सभी कार्य करने की जिम्मेदारी UIDAI पर आ गई है. हर आधारधारक की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहे, सुरक्षित रहे, यह भी आधार कानून के अनुसार प्राधिकरण ही सुनिश्चित करेगा.

■ क्या अपराधियों को पकड़ने में भी 'आधार' का उपयोग किया जा सकता है?

आधार एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कानून तहत आधार नंबर का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान के लिए ही होगा. इसके अलावा किसी अन्य काम में नहीं. हां, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यदि कोई मामला होता है तो इसका कुछ उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आधार कानून के अनुरूप उसका निर्णय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी.

■ सरकार ने 'डिजिटल लॉकर' शुरू करने की योजना बनाई है. क्या उसमें 'आधार' का उपयोग कर विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट भी रखे जाएंगे?

हां, इसकी योजना है. जब सभी स्कूली बच्चों का 'आधार' नामांकन हो जाएगा तो इसे शुरू किया जाएगा. हर विद्यार्थी के सर्टिफिकेट/ डिग्री 'डिजिटल लॉकर' में रहेंगे. इससे बोगस मार्कशीट का झंझट नहीं रहेगा. नियोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी. मार्कशीट खोने का भी डर नहीं रहेगा. पारदर्शिता आएगी.

■ 'आधार' का वर्तमान में किन सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में उपयोग हो रहा है?

'आधार' का उपयोग व्यापक रूप से होने लगा है. सरकार मनरेगा, एलपीजी सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), जन-धन योजना, ईपीएफओ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन) के अलावा छात्रवृत्ति, मिड-डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और बाल कल्याण की 6 योजनाओं में आधार का अनुप्रयोग कर रही हैं. हालांकि कुछ याचिकाएं आधार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में लंबित हैं. गैर सरकारी सेवाओं में तो बैंक, डीमैट, ट्रेडिंग खाता खोलने में तथा नया मोबाइल सिम कार्ड लेने आदि में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं.

'आधार' से खत्म हुए 2.33 करोड़ बोगस राशन कार्ड

■ आगे और किन सेवाओं में 'आधार' के उपयोग की योजना है?

भविष्य में अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड के उपयोग की योजना है. ताकि ई-गवर्नेंस बढ़े, पारदर्शिता आए, जनता को सहूलियत हो, सरकार को बचत हो और रिसाव पर अंकुश लगे. जिन सेवाओं में आधार के उपयोग पर विचार किया जा रहा है, उनमें संपत्ति पंजीकरण, वाहन पंजीकरण, वोटर पंजीकरण, भू-संपत्ति रिकार्ड, पासपोर्ट आवेदन, बीमा पॉलिसी, परीक्षाओं में पंजीकरण, ईपीएफ खाता, रेलवे टिकट बुकिंग जैसी सेवाओं का समावेश है. वैसे ईपीएफओ अपने भविष्य निधि धारकों को यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) के लिए आधार का उपयोग शुरू कर चुका है. इससे पीएफ खाताधारकों को काफी सहूलियत हो रही है. वे अपने खाते की स्थिति से तुरंत अपडेट हो सकते हैं. इनके अलावा सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन) आधार से लिंक कर जीवन प्रमाण (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) की प्रक्रिया को आसान बना रही है. जिससे पेंशनधारक अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से बच सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन आसानी से घर बैठे मिल सकेगी.

■ पिछले 2 साल में सरकार ने अपनी कुछ प्रमुख स्कीमों में सब्सिडी वितरण के लिए आधार का उपयोग शुरू किया है. इससे सरकार को कितना फायदा हो रहा है?

सरकार ने अभी जिन मुख्य योजनाओं में आधार का उपयोग शुरू किया है, उससे सरकार को पिछले 2 साल में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि भारत में केंद्र व राज्य सरकारों की सभी जन कल्याण स्कीमों में 'आधार' का उपयोग किया जाए तो हर साल 70,000 करोड़ रुपए की बचत होगी. इस महत्वपूर्ण बचत का उपयोग सरकार उन गरीबों के कल्याण में कर पाएगी, जो अभी तक इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं. जैसे एलपीजी सब्सिडी में जो बड़ी बचत हुई, उसका उपयोग सरकार उज्जवला स्कीम के द्वारा उन गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने में कर रही है, जो अभी तक इस स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) से वंचित थे. इसी तरह नए बैंक खाता खोलने में आधार का उपयोग किए जाने से बैंकों में धोखाधड़ी से बचाव हो रहा है. बैंकों के खर्च में भी कमी आ रही है. पीडीएस के तहत विभिन्न राज्यों में सरकार ने अभी तक 65 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कर दिया है. इससे देश में 2.33 करोड़ नकली/ बोगस राशन कार्ड को समाप्त करने में मदद मिली है और खाद्य सब्सिडी में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की बचत होने लगी है. ■ ■ ■